न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 107 / 2022

1 बलबीर पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 ओमरता देवी पत्नी स्व. दिनेश जाति जाट निवासी ग्राम बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2 अंशू पुत्री स्व. दिनेश
3 भूमिका पुत्री स्व. दिनेश
4 भाविक पुत्र स्व. दिनेश
जाति जाट निवासी बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनूं नाबालिगान जरिये वलिया माता ओमरता देवी पत्नी स्व. दिनेश जाति जाट निवासी ग्राम बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5 सांवरमल पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी ग्राम बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनूं।
6 गोविन्द सिंह पुत्र सुरजाराम
7 राजेन्द्र सिंह पुत्र सुरजाराम
8 बिमला पत्नी इन्द्र सिंह
9 मोहरसिंह पुत्र इन्द्र सिंह
10 संतोष देवी पत्नी लिछुराम उर्फ लिछमन
11 सुधेश पुत्र लिछुराम उर्फ लिछमन
12 बुजी देवी पत्नी भूराराम
13 मोहनलाल पुत्र खमाराम
14 हरलाल पुत्र खमाराम
15 जगदीश पुत्र खमाराम
16 राकेश पुत्र खमाराम
17 झिमकोरी देवी पत्नी किशनराम
18 मुकेश पुत्र किशनराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

19 राजेश पुत्र किशनराम
20 सुनिता पुत्री किशनराम
21 बबीता पुत्री किशनराम
22 संजू पुत्री किशनराम
23 प्रभाती देवी पत्नी रामलाल
24 रवि कुमार पुत्र रामलाल
25 अनिता देवी पुत्री रामलाल
26 किरण देवी पुत्री रामलाल
27 प्रबन्धक आरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स स्टेशन रोड़ झुन्झुनूं।
28 प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं।
29 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 20.06.2022 बमुमदमा उनवानी ओमरता देवी वगै. बनाम गोविन्द सिंह वगै. प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए राज. टिनेन्सी एक्ट मु.नं. 70/2018 बअदालत उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं

उपस्थिति :

1. श्री शिवनारायण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश सुण्डा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री सोहनवीर, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 12/5/25

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा मुकदमा नम्बर 70/2018 में पारित निर्णय दिनांक 20.06.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 5 की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रस्तुत करते हुए रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 5 ने अपने हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 603 में आवागमन के लिए खसरा नम्बर 600 व 601 में मध्य सीमा में से उत्तर से दक्षिण 20 फीट चौड़ा रास्ता कायम किये जाने की प्रार्थना पत्र की। अपीलान्ट भूमि खसरा नम्बर 601 का खातेदार काश्तकार है व काबिज है। भूमि खसरा नम्बर 601 अपीलांट की खातेदार की भूमि खसरा नम्बर 600 से पूर्व में सटकर स्थित है तथा खसरा नम्बर 600 व 601 के बीच की सीमा पर 20 फीट चौड़ा रास्ता रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 5/प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने उपस्थित होकर यह प्रकट किया कि अपीलान्ट के खसरा नम्बर 600 की पूर्वी दिशा के सहारे सहारे खसरा नम्बर 603 में जाने के लिए अगर 10 फीट चौड़ा रास्ता कायम किया जाता है तो अपीलान्ट/अप्रार्थी का कोई ऐतराज नहीं है परन्तु जो जमीन अप्रार्थी/अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 600 मे से रास्ते में जाये उस भूमि के बदले में उतनी ही जमीन प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 5 की खातेदारी के खसरा नम्बर 603 में से अप्रार्थी/अपीलान्ट को दिलवा दी जावें। अपीलान्ट/अप्रार्थी के खसरा नम्बर 600 के उत्तर में सटकर प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 5 का खेत खसरा नम्बर 603 स्थिन होने से खसरा नम्बर 600 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे रास्ता में आने वाली जमीन के बदले में प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 5 की खातेदारी के खसरा नम्बर 603 की दक्षिणी सीमा जो खसरा नम्बर 600 से लगती हुई है के सहारे सहारे अपीलान्ट/अप्रार्थी को दिया जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति होने का कोई प्रश्न ही नहीं है परन्तु इस तथ्य के बावजूद विचारण न्यायालय ने दिनांक 20.06.2022 को अपने मनमाने ढंग से निर्णय देते हुए अपीलान्ट/प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 600 में से रास्ता में आने जाने वाली भूमि के बाबत डीएलसी दर की दुगुनी राशि बतौर प्रतिकर दिलवाये जाने के बाबत विधि विरूद्ध आदेश दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उभयपक्ष ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 600 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे रेस्पोडेन्ट के खेत खसरा नम्बर 603 की दक्षिणी सीमा तक जितनी जमीन अपीलान्ट की जमीन् में से रास्ता की जमीन में जाये उसके बराबर जमीन अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के खसरा नम्बर 603 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे दिलवाये जाने का आदेश पारित करते हुये अपील का निस्तारण फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में उभयपक्ष ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 600 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे रेस्पोडेन्ट के खेत खसरा नम्बर 603 की दक्षिणी सीमा तक जितनी जमीन अपीलान्ट की जमीन में से रास्ता की जमीन में जाये उसके बराबर जमीन अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के खसरा नम्बर 603 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे दिलवाये जाने का आदेश पारित करते हुये अपील का निस्तारण फरमाया जावें।

उभयपक्ष के राजीनामे के दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण इसी स्तर पर विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाता है कि मुताबिक राजीनामा उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करें। राजीनामें की प्रति निर्णय के साथ विचारण न्यायालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित हों। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 12/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर